कैलाश केवर

कर बाद तनकीह खारिज [illegible] पत्रावली किये। वकील वादीगण कतिपय दस्तावेज आदि पेश करना चाहते हैं। वास्ते पेश करने दस्तावेज पत्रावली 20/7/20 को पेश हो।

20/7/20 पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित हैं। वकील वादी द्वारा फर्द के साथ दस्तावेज पेश किये। आ०का० रजि० बहस सुनी। वास्ते आदेश दि० 21.7.20 को पेश हो।

21.7.20 पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित हैं। बहस विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष पर

रीख कम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विचार किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के तथ्य, वांछित अनुतोष, वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य आलेखित आपसी सहमति का राजीनामा एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का प्रकरण के सम्बंध में आद्योपान्त गहन अवलोकन एवं मनन किया गया। हस्ब नकल जमाबन्दी ग्राम गोयन्दा संवत् २०३६-२०३९ खाता संख्या १३ पर खसरा नम्बर ९५८ (रकबा १६) खेलसिंह, उदयसिंह, मोखमसिंह पि० बापूसिंह जाति राजपूत सा० देह समभाग में दर्ज रिकार्ड है। हस्ब नकल फर्द मिलान साबिक खसरा नम्बर ९५८ के हाल खसरा नम्बर १२०५ रकबा २.५९ हेक्टर पैमूद किये गये हैं। हस्ब नकल जमाबंदी ग्राम गोयन्दा संवत् २०७४-२०७७ खाता नम्बर २७९ में खसरा नं० १२०५ रकबा २.५९ हे० पर वादीगण के पिता/पति हिस्सा १/४ में दर्ज है, इस प्रकार मोखमसिंह के हिस्सा १/३ के स्थान पर लक्ष्मणसिंह का हिस्सा १/४ दर्ज कर दिया है, वह त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति का राजीनामा पेश हो जाने से उनके मध्य सहमति की हद तक वाद के समस्त विवाद्यक बिन्दुओं का अवसान हो चुका है। तथा साथ ही साथ प्रतिवादीगण द्वारा वादपत्र में अंकित शजरे को स्वीकार	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलकार हुक्म में
	किया जा चुका है। ऐसी सूरत में लक्ष्मणसिंह के पिता मोखमसिंह, रलेलसिंह एवं उदयसिंह के वारिसान के सम्बंध में किसी प्रकार का मतभेद या आक्षेप नहीं है। पूर्व जमाबंदी अनुसार मोखमसिंह के वारिसान लक्ष्मणसिंह उनकी मृत्यु उपरान्त वारीगण हिस्सा 1/3 के खातेदार रहते थे तथा रलेलसिंह की मृत्यु उपरान्त भंवरसिंह अर्थात प्रतिवादी नं० 1 हिस्सा 1/3 के खातेदार है, तथा इसी प्रकार उदयसिंह के हिस्सा 1/3 में धनसिंह 1/3, गोविन्दसिंह उर्फ शीतलसिंह 1/3 तथा नीरुसिंह, अरविंदसिंह, मैनाशकंवर देवेन्द्रसिंह हि० 1/3 में समभाग अबाध रहते है। अर्थात रलेलसिंह के वारिसान हिस्सा 1/3, उदयसिंह के वारिसान हि० 1/3 तथा मोखमसिंह के वारिसान हिस्सा 1/3 के अनुसार दर्ज होने चाहिये थे, जिन्हे हिस्से में त्रुटिपूर्ण दर्ज कर दिया गया है। पक्षकार पूर्ववत रिकार्ड अनुसार हिस्सा कायम करवा कर वादग्रस्त भूमि को पृथक-पृथक खाते दर्ज करवाने हेतु आपसी सहमति का राजीनामा आलेखित कर प्रस्तुत कर चुके है। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया जा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	चुका है।	

प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक विचार किया। हस्ब राजीनामा वाद वादीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः हस्ब राजीनामा वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम गोमन्दा की भूमि आराजी नम्बर 1205 का वादीगण हिस्सा 1/3, प्रतिवादी नं. 1 हिस्सा 1/3 तथा प्रति० नम्बर 2 से 7 का हिस्सा 1/3 अनुसार तकसीम किया जाकर उक्त भूमि का पक्षकारों के मध्य निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है।

क्र.सं. नाम पक्षकार मय विवरण	ख.नं.	रकबा	दिशा
(1) रसालकंवर w/o लक्ष्मण सिंह हि. 1/2, प्रेमसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह हि. 1/2 जाति राजपूत सा. देह रहन यथावत	1205	0.8633 है.	उत्तर [illegible] पूर्व
	किता 1	0.8633 है.	—
(2) भंवरसिंह पुत्र दलेलसिंह जाति राजपूत सा. देह रहन यथावत	1205	0.8634 है	दक्षिण
	किता 1	0.8634 है	—
(3) धनसिंह पुत्र उदयसिंह 1/3 हीरासिंह उर्फ गोविन्दसिंह s/o उदयसिंह 1/3 देवेन्द्रसिंह पुत्र नारायणसिंह 1/12 दीपूसिंह पुत्र नारायणसिंह 1/12 अरविंदसिंह पुत्र नारायणसिंह 1/12 कैलाशकंवर w/o नारायण सिंह 1/12	1205	0.8633	उत्तर पश्चिम
	किता 1	0.8633 है.	—

खातेदारों की भूमि पर रहन यथावत रहेगा।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री मुरत्तिब हो। पत्रावली की निर्णित में गणना की जाकर बाद तामील तकमील प्रविष्ट लेख भण्डार हो। निर्णय आज दिनांक 21.07.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया। (चिमनलाल मीणा) R.A.S.

अंतिम डिकरी व मुकद्दमे ~~इजराई~~

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'–1)

अज अदालत—उपखण्ड अधिकारी—मुकाम—रामगंजमण्डी

ब इजलास—चिमनलाल मीणा (R.A.S.)

रसाल कंवर—बनाम—भंवरसिंह

दावा बाबत—53, 88, 89 R.T. Act 1955

मुकद्दमा नं.—84—सन्—2020

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू—चिमनलाल मीणा (R.A.S.)

बहाजरी—श्री D.B. माहेश्वरी एड.—मिनजानिब मुद्दई व—श्री जीवन गोचवाल एड.

—मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

हस्ब राजीनामा वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते है कि ग्राम गोयन्दा की भूमि आ० नं० 1205 (कब) 2.5960 का वादीगण हि० 1/3, प्रति० नं० 1 हिस्सा 1/3 तथा प्रति० नं० 2 से 7 का हिस्सा 1/3 अनुसार तकसीम किया जाकर उक्त भूमि का पक्षकारों के मध्य पुस्त पर अंकित अनुसार खाता विभाजन किया जाता है।

नीज—मुबालिग—फीसदी सालाना आज की तारीख

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह—

से तारीख वसूलयाबी तक—/—को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख—21—माह—07—~~200~~2020

को जारी की गई।

महर

दस्तखत—उपखण्ड अधिकारी
ओहदा—रामगंजमण्डी

मुद्दई	रुपया	पं.	मुद्दायलाह	रुपया	पं.
स्टाम्प अर्जी दावा	4	—	स्टाम्प वकालतनामा	2	—
स्टाम्प वकालतनामा	2	—	स्टाम्प अर्जी	|	
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर	|	
महनताना वकील			खर्चा गवाहान	|	
खर्चा गवाहान	20	—	फीस कमिश्नर	|	
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा	|	
बाबत इजराय हुक्मनामा	4	—	मुतफर्रिक	|	
मुतफर्रिक			मीजान ...	2	—
मीजान....	30	—			

नोट:—इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

रा. मु. जो. 139-2006-1,00,000 फार्म

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

नाम पक्षकार मय विवरण	ख. नं.	रकबा	हिस्सा
(1) रसाल कंवर w/o लक्ष्मण सिंह 1/2 प्रेमसिंह S/o लक्ष्मण सिंह 1/2 जाति राजपूत रहन बदस्तूर	1205 किता 1	0.8633 0.8633 है.	उत्तर पूर्व –
(2) भंवरसिंह पुत्र रतनसिंह जाति राजपूत सा० देह रहन यथावत	1205 किता 1	0.8634 0.8634 है.	दक्षिण –
(3) धनसिंह पुत्र उदयसिंह 1/3 हीरसिंह उर्फ गोविन्दसिंह S/o उदयसिंह 1/3 देवेन्द्रसिंह पुत्र नारायण सिंह 1/12 दीपसिंह पुत्र नारायण सिंह 1/12 अरविंदसिंह पुत्र नारायण सिंह 1/12 कैलाश कंवर पत्नी नारायण सिंह 1/12	1205 किता 1	0.8633 0.8633 है.	उत्तर पश्चिम –

भूमि पर रहन बदस्तूर रहेगा। रिकार्ड में अमल दरामद हो। नक्शे में तरमीम की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी